संख्या-08/2026/पी-267-38-7-26/38-9002-002-1-2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ : दिनांक 23 अप्रैल, 2026**

विषय:-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रावधानित बजट के सापेक्ष अनुरक्षण मद (योजनान्तर्गत सड़कों की मरम्मत एवं योजनान्तर्गत निर्मित पोस्ट डी0एल0पी0 सड़कों पर रिसर्फेसिंग/पीरियाडिक रिन्यूवल के कार्य के उपरान्त अनुरक्षण कार्य) हेतु प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) की धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-13/एफ-31(14)/यूपीआरआरडीए/2026-27, दिनांक 02.04.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निहित मार्गों के अनुरक्षण मद (योजनान्तर्गत सड़कों की मरम्मत एवं योजनान्तर्गत निर्मित पोस्ट डी0एल0पी0 सड़कों पर रिसर्फेसिंग/पीरियाडिक रिन्यूवल के कार्य के उपरान्त अनुरक्षण कार्य) हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 21282.52 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त रू0 10641.26 लाख (रूपये एक अरब छह करोड़ इकतालीस लाख छब्बीस हजार मात्र) की धनराशि की स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अनुरोध किया गया है:-

(रूपये लाख में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक	मद का विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्राविधान के सापेक्ष प्रथम किश्त (50%) की मांग
1	3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-105-रख-रखाव तथा मरम्मत-03-उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण-0301-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण।	पीएमजीएसवाई योजना के अन्तर्गत सड़कों की मरम्मत हेतु।	14745.55	14745.55	7372.775
2		पीएमजीएसवाई योजना के अन्तर्गत निर्मित, पोस्ट डी0एल0पी0 सड़कों पर रिसर्फेसिंग/पीरियाडिक रिन्यूवल के कार्य के उपरान्त अनुरक्षण कार्य हेतु।	6536.97	6536.97	3268.485
		योग-	**21282.52**	**21282.52**	**10641.26**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निहित मार्गों के अनुरक्षण मद (योजनान्तर्गत सड़कों की मरम्मत एवं योजनान्तर्गत निर्मित पोस्ट डी0एल0पी0 सड़कों पर रिसर्फेसिंग/पीरियाडिक रिन्यूवल के कार्य के उपरान्त अनुरक्षण कार्य) हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 21282.52 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त रू0 10641.26 लाख (रूपये एक अरब छह करोड़ इकतालीस लाख छब्बीस हजार मात्र) की धनराशि की स्वीकृति उपरोक्तानुसार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदया द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) निर्मित सम्पर्क मार्ग का हस्तान्तरण निर्माण के 05 वर्ष के उपरान्त लोक निर्माण विभाग को कर दिया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि दो समान किश्तों में आहरित की जायेगी तथा प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत उपभोग किये जाने के बाद द्वितीय किश्त का आहरण किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की नियमावली एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(4) धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय धनराशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिकारी/कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,06,41,26,000 (रुपये एक अरब छह करोड़ इकतालीस लाख छब्बीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 013 लेखा शीर्षक 3054041050301 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
विशेष सचिव।

shasanadesh

संख्या-08/**2026/पी-**267(1)**/001-38-9002-002-1-2023, तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
5- नोडल अधिकारी/उप सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-08, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

योगेश चन्द्र दीक्षित
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।